



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2010/वैशाख 2, 1932

No. 208]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2010/VAISAKHA 2, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 344(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) नियम 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) संशोधन नियम, 2010 है।
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) नियम 2009 की अनुसूची 1 में क्र. सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
* 26 ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	1 * (2009) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड -3 15600- 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	<u>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा</u>	12
	वे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन 6600 रुपए सहित 15600-39100 रुपए के वेतन बैंड में प्रधान निजी सचिव के पद में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में पांच वर्ष की नियमित ² सेवा की हो।	

13		14
	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का एक सदस्य- अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग
3. सचिव भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

1	2	3	4	5	6	7
* 27 प्रधान निजी सचिव	6* (2009) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	(15600-39100 रुपए) + शेष वेतन 6600 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11	12		
प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रोन्ति द्वारा					

वे अधिकारी जिन्होंने भारत के प्रतिपद्धा आयोग में 4200 श्रेणी वेतन सहित 9300-34800 रुपए के पीढ़ी-2 वेतन बैंड में निजी सचिव की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है,

प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कठिन व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्युरिटी एकाई या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं 5400 के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा या 4800 रुपए के ग्रेड वेतन के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की सेवा या 4600 रुपए के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रुपए के ग्रेड वेतन में दस वर्ष की सेवा सहित या इसके समतुल्य नियंत्री सचिव का पद धारण कर रहे हों।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है।

टिप्पण 3 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आधुनीकी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

लागू नहीं होता

1. भारत के प्रतिपक्ष आयोग का एक सदस्य- अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भारत का प्रतिपक्ष आयोग
3. सचिव, भारत का प्रतिपक्ष आयोग

14

1	2	3	4	5	6	7
28 निजी सचिव	3* कार्यनार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता	वेतन बँड -2 + 9300-34800रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1500G/10-29

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्रदेश सेकेटर उपक्रम् या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी; 2800 रुपए के ग्रेड वेतन सहित 5200-20200 रुपए के वेतन बँड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित या उसके समतुल्य

13		14
प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए चयन समित :- सचिव, भारत का प्रतिरक्षर्धा आयोग-अध्यक्ष दो अधिकारी जो निदेशक की पंक्ति से नीचे के न हों-सदस्य		लागू नहीं होता

[फा. सं. 5/27/2007-आई.जी.सी./सी.एस.]
रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 670(अ), तारीख 14 सितंबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2010

G.S.R. 344(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Rules, 2009, namely: -

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Rules, 2009, in Schedule 1, after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

1500G1\10-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
26. Senior Principal Private Secretary.	1* (2009) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable	Pay Band-3 Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600.	Selection post	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion / deputation	By Promotion / Officers who have rendered five years of regular service in Commission of India in the Principal Private Secretary grade in the pay band of Rs.15600-39100 with grade pay Rs.6600	1. One Member of Competition Commission of India – Chairman 2. Director General, CCI 3. Secretary, CCI	Not Applicable
27 Principal Private Secretary	6* (2009) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable	(Rs.15600 -39100) + Grade Pay Rs.6600	Selection	Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion / deputation absorption	1. One Member of Competition Commission of India – Chairman 2. Director General, CCI 3. Secretary, CCI	Not applicable	

Note—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

By Deputation/absorption:

Officers of the central government or the State Government or the public sector autonomous units

	<p>organisation holding analogous post on regular basis or holding the post of Private Secretary with five years service in the grade pay of Rs.5400 or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or ten years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent.</p> <p>Note 1. — The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Note 2. — The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p>	<p>Note 3. — The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.</p>
--	--	---	--

Deputation/absorption:			Officers under the Central Government or public sectors undertaking or autonomous organisation:	Officers under the State Government or public sectors	Selection Committee/ deputation/ absorption/- Secretary Competition Commission of India I-chairman Two officers not below the rank of Director - member.	Not applicable
						Not applicable
28 Private Secretary	3* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	PB2 (Rs.9300- 34800 + Grade Pay Rs.4200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[F. No. 5/27/2007-IGC/CS]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note :— The Principal rules were published vide No. G.S.R. 670 (E), dated the 14th September, 2009.